भारतीय दन्त परिषद
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)

स्पीड पोस्ट / ई-मेल / वैबसाइट

परिपत्र

सं०डीई-बीडीएस(सामान्य)दाखिला-अधिनियम-2020/ 542 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

सेवा में,

बीडीएस पाठ्यक्रम संचालित करने वाले देश के सभी दंत महाविद्यालय

विषय: **अकादमिक सत्र 2020-2021 में दंत कॉलेजों में बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों का विवरण भारतीय दंत परिषद की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।**

*****

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय दंत परिषद (नए दंत महाविद्यालयों की स्थापना, नए या उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आरंभ तथा दंत महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता की वृद्धि) (16वां संशोधन) विनियम, 2020 में दी गई समय-अनुसूची के अनुसार, प्रथम बीडीएस पाठ्यक्रम की दाखिला प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, केवल अकादमिक सत्र 2020-21 में दाखिला लेने की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2021 है; जिस तक छात्र प्रवेश ले सकते हैं। उपरोक्त विनियमों की प्रतिलिपि भारतीय दंत परिषद की वैबसाइट से डाऊनलोड किया जा सकता है।

2. तदनुसार, कॉलेज प्राधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अकादमिक सत्र 2020-2021 में अपने दंत संस्थान में बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों का विवरण भारतीय दंत परिषद की वैबसाइट पर, पहले से आवंटित अपने लॉगिन आई॰डी॰ व पासवर्ड का उपयोग करके, 15 जनवरी, 2021 तक या इसके पूर्व अवश्य ही अपलोड करें दें अन्यथा यह माना जाएगा कि अकादमिक सत्र 2020-21 में कॉलेज प्राधिकारियों ने अपने कॉलेज में बीडीएस पाठ्यक्रम में किसी भी छात्र को दाखिला नहीं दिया है। अगर कोई दन्त चिकित्सा महाविद्यालय निर्धारित अंतिम तारीख के बाद किसी भी दाखिले का दावा करता है तो उसके विरुद्ध दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10बी और दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 16ए के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

3. चूंकि, दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 10डी के अनुसार, बीडीएस पाठ्यक्रम में सभी दाखिले केवल राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) के माध्यम से ही होंगे, इसलिए डीसीआई ने छात्रों के ऑनलाइन विवरण भरने के लिए एक ऐसा मॉड्यूल विकसित किया है जिसमें कॉलेज प्राधिकारी छात्र का NEET रोल नंबर दर्ज करके बहुत कम समय में छात्र का पूरा विवरण सही ढंग से अपलोड करने में सक्षम होंगे।

4. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि डीसीआई वैबसाइट पर छात्रों के केवल अपलोड किए गए विवरणों पर ही विचार किया जाएगा और किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त छात्रों के किसी भी विवरण जैसे कि ई-मेल या लिखित प्रति पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आपके द्वारा ई-मेल या डाक के माध्यम से छात्रों का कोई विवरण न भेजा जाये। यह भी उल्लेखनीय है कि छात्रों के उपर्युक्त विवरण अपलोड करने के लिए समय सीमा को बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध, किसी अन्य कारण, तकनीकी गड़बड़ी का बहाना अथवा किसी अन्य बहाने पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने स्तर पर, समय से, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी प्रकार के प्रबंध करें जिससे कि किसी भी प्रकार के विधिक विवाद से बचा जा सके और परिषद इस मामले में समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सके।

कृ॰पृ॰उ॰

ऐवान-ए-ग़ालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110 002 ¤ Aiwan-E-Ghalib Marg, Kotla Road, New Delhi – 110 002
दूरभाष/Phones : 011-23238542, 23236740 ई-मेल/E-mail : secy-dci@nic.in, वेबसाईट/Website : www.dciindia.gov.in

5. अगर कोई दाखिला या दाखिले संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 का उल्लंघन करके अथवा अकादमिक सत्र 2020-21 की प्रवेश की समय सारिणी का उल्लंघन करके अथवा भारतीय दंत परिषद की वैबसाइट पर छात्रों का विवरण अपलोड करने से संबंधित ऊपर दिये किसी निर्देश का अनुपालन न कर पाने पर अथवा दंत चिकित्सक अधिनियम और इसके अंतर्गत बने विनियमों का उल्लंघन करके किए जाते हैं तो कॉलेज प्राधिकारी ऐसे दाखिल किए गए छात्रों को बर्खास्त कराने के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसा न करने पर, दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10बी के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे छात्रों की दंत शैक्षणिक योग्यता अमान्य करने हेतु अथवा / और दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 16ए के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए दोषी दंत कॉलेज की मान्यता समाप्त करने हेतु; इनमें से जो भी होगी, कार्यवाही की जायेगी।

6. यदि उपरोक्त संदर्भ में कोई कठिनाई होती है तो आप तकनीकी सहायता हेतु भारतीय दंत परिषद को secy-dci@nic.in अथवा दूरभाष 011-23238542 पर संपर्क कर सकते हैं।

भवदीय

(मुकेश कुमार)
उप सचिव
भारतीय दंत परिषद

सूचना हेतु प्रतिलिपि:-

1. सचिव भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (स्वास्थ्य विभाग - दंत शिक्षा अनुभाग), कमरा न० - 539, ए विंग, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली - 110 108 - सूचना हेतु।
2. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा सचिव - सूचना हेतु और यह सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ कि कॉलेज प्राधिकारी उपर्युक्त शर्तों का पूर्णता से अनुपालन करें।
3. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा शिक्षा निदेशक - सूचना हेतु और यह सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ कि कॉलेज प्राधिकारी उपर्युक्त शर्तों का पूर्णता से अनुपालन करें।
4. सभी विश्वविद्यालयों के पंजीयक के अंतर्गत दंत कॉलेज - सूचना हेतु और यह सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ कि कॉलेज प्राधिकारी उपर्युक्त शर्तों का पूर्णता से अनुपालन करें।

(मुकेश कुमार)
उप सचिव
भारतीय दंत परिषद

प्रति:-

1. कार्यवाहक अध्यक्ष, भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली।
2. वैधानिक अनुभाग

भारतीय दन्त परिषद
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)

BY SPEED POST / E-MAIL / WEBSITE

CIRCULAR

No.DE-BDS(Gen)Admission-Act-2020/ 542 Dated the 23 December, 2020

To

All the Dental Colleges running BDS Course in the Country

Sub: **Uploading the details of students to be admitted in BDS Course at Dental Colleges for the academic session 2020-2021, on DCI Website.**

*****

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that the last date upto which the students can be joined in BDS Course is 15th January, 2021 as per Time Schedule for completion of admission process for first BDS Course only for the academic session 2020-21 as prescribed in "Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of study or Training and Increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (16th Amendment) Regulations, 2020". The copy of above regulations may be downloaded from DCI Website.

2. Accordingly, the college authorities of all dental colleges are hereby directed to upload the details of students, admitted in BDS Course at their dental institution for the academic session 2020-2021, on DCI Website, using their already allotted login credentials, on or before the last date of admission i.e. 15th January, 2021, positively, failing which it shall be presumed that the college authorities have not admitted any student in BDS Course at their college for the academic session 2020-21 and if the college authorities claims any admission after the cut-off date, then Section 10B of the Dentists (Amendment) Act, 1993 and Section 16A of the Dentists Act, 1948 shall be attracted.

3. Since, as per Section 10D of the Dentists (Amendment) Act, 2016, all admissions in BDS Course shall only be made through National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET), the DCI has developed the online module for entry of students details in such a way that the college authorities can upload the details of students by searching students NEET roll number only so as to enable them to upload all details of students correctly in very less time.

4. It is also to inform you that only uploaded details of students on DCI Website shall be considered and any details of students received in any other format viz. e-mail or hard copy shall not be considered at all, therefore, you are requested not to send the subject details through e-mail or post. It is also stated that no request for extension of time to upload the above details of students or any other excuse or reason of technical fault, etc. shall be considered, therefore, you are again requested to ensure and make available all arrangements at your end to complete the above task, in time, so as to avoid any litigation and to enable this Council to take necessary action in a time bound manner.

5. In case, any admission(s) is/are made in violation of Revised BDS Course Regulations, 2007 as amended from time to time or the Time Schedule for the academic session 2020-21 or non compliance of above any direction for uploading the details of the students on DCI website or in

Cont'd...2

ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110 002 ¤ Aiwan-E-Ghalib Marg, Kotla Road, New Delhi – 110 002
दूरभाष/Phones : 011-23238542, 23236740 ई-मेल/E-mail : secy-dci@nic.in, वेबसाईट/Website : www.dciindia.gov.in

violation of the provisions of the Dentists Act and Regulations made thereunder, the college authorities shall be liable to discharge such students failing which the provisions of the Section 10B of the Dentists (Amendment) Act, 1993 providing for non-recognition of dental qualification in respect of such students or / and the provisions of Section 16A for withdrawal of recognition for violation of conditions of admissions, as the case may be, would be initiated against such erring dental college(s).

6. In case of any difficulty, you may contact DCI for technical support at **secy-dci@nic.in** or call on 011-23238542.

Yours faithfully

(Mukesh Kumar)
Deputy Secretary
Dental Council of India

Copy for information to:-

1. The Secretary to the Govt. of India, Ministry of Health & Family Welfare, (Deptt. of Health - DE Section), Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110108 – for information.
2. The Health/Medical Education Secretary of all the States/UT for information and with the request to kindly ensure that the college authorities to comply with the above stipulations in totality.
3. The Director of Medical Education of all the States/UT – for information and with the request kindly to ensure the college authorities to comply with the above stipulation in totality.
4. The Registrar of the University having dental colleges affiliated to them for information and with the request to ensure that the college authorities to comply with the above stipulation in totality.

(Mukesh Kumar)
Deputy Secretary
Dental Council of India

CC:-

1. The Acting President, Dental Council of India, New Delhi.
2. Legal Cell